भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3368

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

महाराष्ट्र के पिछड़े और आकांक्षी जिलों को आवंटित सीएसआर निधि

3368. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची सात (धारा 135) के तहत प्रदान की जाती है और क्या पिछड़े और आकांक्षी जिलों को उक्त निधि के आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और देश के राज्यों, जिलों और इलाकों को सीएसआर फंड प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आकांक्षी जिलों के विकास के लिए चिह्नित सीएसआर निधि की कुल राशि कितनी है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा महाराष्ट्र के सभी आकांक्षी जिलों को जिला-वार और वर्ष-वार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान जिला धाराशिव (उस्मानाबाद) और महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रदान की गई कुल धनराशि कितनी है और उक्त निधि से किए गए विकास कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(च) आकांक्षी जिलों की स्थिति पर सीधा प्रभाव डालने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम की अनुसूची VII उन कार्यकलापों की पात्र सूची को इंगित करती है जो सीएसआर के तहत कंपनियों द्वारा प्रारंभ की जा सकती हैं। अधिनियम की धारा 135 प्रत्येक कंपनी को, जिसकी तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या उससे है, या 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवल लाभ है, कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार, तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय सीएसआर पर करना अधिदेशित करती है। प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी को तीन या अधिक निदेशकों वाली एक सीएसआर समिति गठित करनी होती है जिनमें से कम से कम एक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होगा। धारा 135 (9) में यह प्रावधान है कि 50 लाख रुपये से नीचे की

जारी.....2/-

सीएसआर बाध्यता वाली कंपनियों को सीएसआर समिति गठित करने से छूट दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3) और (4), कंपनी की सीएसआर समिति और बोर्ड को अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध मदों के लिए अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के वितरण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देती है। समिति सीएसआर नीति तैयार करती है और उसकी सिफारिश करती है तथा कंपनी का बोर्ड इसकी सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, उन पर निर्णय लेता है, उन्हें क्रियान्वित करता है और निगरानी करता है। चूंकि सीएसआर कार्यकलाप का प्रारंभ, उसका प्रबंधन और उसकी निगरानी एक कारपोरेट द्वारा की जाती है, इसलिए सरकार किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कार्यकलाप में व्यय करने के संबंध में कंपनियों को विशिष्ट निर्देश जारी नहीं करती है।

(ग): विगत पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात 2018-19 से 2022-23 के दौरान सभी आकांक्षी जिलों में कंपनियों द्वारा व्यय की गई कुल सीएसआर निधि अनुलग्नक-I में दी गई है।

(घ): विगत पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) अर्थात 2018-19 से 2022-23 के दौरान महाराष्ट्र के सभी आकांक्षी जिलों में कंपनियों द्वारा किया गया सीएसआर व्यय अनुलग्नक-II में किया गया है।

(ङ): विगत पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) अर्थात 2018-19 से 2022-23 के दौरान महाराष्ट्र के धाराशिव (उस्मानाबाद) और परभणी जिलों में कंपनियों द्वारा विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-III और IV में दिया गया है।

(च): अधिनियम के तहत, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसका आकांक्षी जिलों की स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता हो। तथापि, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी, जिसका तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में औसत सीएसआर दायित्व 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, को एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अपनी उन सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन कराना होगा, जिनका परिव्यय एक करोड़ रुपए या उससे अधिक है तथा जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हों।

*****

अनुलग्नक- I

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3368 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक आकांक्षी जिलों पर कुल सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)					
विवरण	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**
कुल	282.61	345.39	651.43	1046.43	1402.89

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन सेल)

अनुलग्नक- II

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3368 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए महाराष्ट्र में आकांक्षी जिलावार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)					
जिला	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
उस्मानाबाद (धाराशिव)	3.75	2.66	7.37	12.88	25.17
गडचिरोली	1.98	1.38	9.32	18.09	14.55
नंदुरबार	4.06	8.71	23.27	24.92	30.37
वाशिम	-	0.48	1.87	7.02	4.97
कुल	**9.78**	**13.22**	**41.83**	**62.91**	**75.07**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन सेल)

अनुलग्नक- III

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3368 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक धाराशिव (उस्मानाबाद) में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)						
क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**
1	पशु कल्याण	0.02	-	-	0.01	-
2	कला और संस्कृति	-	0.01	-	-	-
3	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	-	-	-	-	1.52
4	शिक्षा	1.67	1.37	2.59	1.13	1.64
5	पर्यावरणीय स्थिरता	-	0.37	0.05	2.48	3.04
6	लैंगिक समानता	0.04		0.52		
7	स्वास्थ्य देखभाल	0.92	0.26	0.78	2.88	1.61
8	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	-	-	0.11	2.80	2.43
9	गरीबी, भुखमरी उन्मूलन, कुपोषण	-	-	0.01	0.03	-
10	ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	0.02	-	1.50	2.14	14.31
11	सुरक्षित पेयजल	-	0.15	0.17	-	-
12	स्वच्छता	-	-	0.13	-	-
13	अनाथालय की स्थापना	0.003	0.01	-	-	-
14	विशेष शिक्षा	0.21	-	-	0.10	-
15	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-	0.12	-	0.08
16	व्यावसायिक कौशल	0.16	-	0.44	1.32	0.00
17	महिला सशक्तिकरण	0.73	0.49	0.95	-	0.54
	कुल	**3.75**	**2.66**	**7.37**	**12.88**	**25.17**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन सेल)

अनुलग्नक - IV

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3368 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक महाराष्ट्र के परभणी जिले में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय					
विकास क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
पशु कल्याण	-	-	-	-	0.033
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	-	-	-	-	1.195
शिक्षा	0.008	0.148	0.388	0.178	0.579
स्वास्थ्य देखभाल	-	0.004	-	0.053	0.232
आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	-	-	-	-	0.700
गरीबी, भुखमरी उन्मूलन, कुपोषण	-	-	-	1.136	0.553
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	-	-	-	0.010	0.133
विशेष शिक्षा	0.001	-	-	-	-
खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-	-	-	0.010
महिला सशक्तिकरण	-	-	-	-	0.126
कुल	**0.009**	**0.152**	**0.388**	**1.378**	**3.562**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपेरेट डेटा प्रबंधन सेल)